भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं.: 4/पत्र/ई सी आई/प्रकार्या./जुडी./एस डी आर/2016 दिनांक: 25 जुलाई, 2016

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: पैम्फलेटों पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबंध – स्पष्टीकरण।

महोदय/महोदया,

मुझे, निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के प्रकाशन एवं मुद्रण के विषय में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के प्रावधानों के संबंध में आपका ध्यान दिनांक 24 अगस्त, 2004 के आयोग के पत्र सं. 3/9/2004/जे.एस.-II एवं दिनांक 16.10.2007 की सं. 3/9/2007/जे.एस.II (प्रतियां संलग्न) की ओर आकर्षित करने का निदेश हुआ है।

2. धारा 127क की उप-धारा (I) यह उपबंधित करती है कि कोई भी व्यक्ति निर्वाचन संबंधी ऐसा कोई भी पैम्फलेट या पोस्टर न तो प्रकाशित या मुद्रित कराएगा और न ही ऐसी किसी सामग्री के प्रकाशन या मुद्रण का कारण बनेगा जिस पर उसके मुद्रक या प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो। इस संबंध में पूरी की जाने वाली अन्य अपेक्षाएं उसकी उप धारा (2) में दी गई हैं।

3. इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या निर्वाचन संबंधी विषयों पर होर्डिंग्स, फ्लेक्स बोर्ड इत्यादि को धारा 127क के अंतर्गत रखा जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी निर्वाचन से संबंधित विज्ञापन से युक्त होर्डिंग्स, फ्लेक्स बोर्ड इत्यादि को धारा 127क में उल्लिखित 'पोस्टर' के अर्थ के रूप में लिया जाएगा। पार्टी नेता के फोटो वाले होर्डिंग्स सहित होर्डिंग, फ्लेक्स बोर्ड इत्यादि के मामलों में प्रकाशक का नाम एवं पता देने संबंधी अपेक्षा का अनुसरण किया जाना चाहिए।

4. धारा 127क की उप-धारा (2) के प्रावधानों के संबंध में दिनांक 7 अक्तूबर, 2008 के आयोग के पत्र सं. 3/7/2008/जे.एस.II में दिए गए निदेशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। उक्त निदेशों के अनुसार होर्डिंग्स, फ्लेक्स बोर्ड इत्यादि के विषय में उनको प्रदर्शित करने से पहले उस सम्पत्ति के स्वामी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। ऐसी सामग्री के विषय में चाहे वह सार्वजनिक स्थान में हो या निजी परिसर में हो, संबंधित पार्टी/अभ्यर्थी को ऐसे होर्डिंग्स/फ्लेक्स बोर्ड के दो फोटोग्राफ सहित दिनांक 7 अक्तूबर, 2008 के उक्त पत्र के साथ संलग्न फार्मेट (सुलभ संदर्भ के लिए फार्मेट की प्रतिलिपि एतद्द्वारा संलग्न है) के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी को सूचना देनी होगी।

उपर्युक्त स्पष्टीकरण सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों/रिटर्निंग अधिकारियों एवं अन्य संबंधितों को संसूचित किया जाए। यह राज्य/संघ शासित क्षेत्र में सभी राजनैतिक दलों के ध्यान में भी लाया जाए।

भवदीय,

(अनुज जयपुरियार)
सचिव